प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 10.12.2025

“नक्सलमुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम—सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से नक्सली संत कुमार चेरो को उम्रकैद”-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर श्री आर० पी० सिंह तथा पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराधियों के विरुद्ध संचालित #OperationConviction अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। प्रभावी पैरवी, मजबूत साक्ष्य तथा सशक्त पुलिस–न्याय समन्वय के आधार पर हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त नक्सली आरोपी को माननीय एएसजे प्रथम, सोनभद्र द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रकरण का विवरण

थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0: 33/2009
धाराएं: 147, 148, 149, 302 IPC एवं 7 CLA Act
अभियुक्त: संत कुमार चेरो पुत्र तेजबली, निवासी कन्हौरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र

न्यायालय द्वारा पारित सजा

धारा 302/34 IPC के अंतर्गत—
आजीवन कारावास
₹20,000/- का अर्थदण्ड
अर्थदंड न देने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका

थाना चोपन पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरंतर समन्वय, प्रभावी पैरवी एवं सशक्त साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कराया गया। यह निर्णय न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि समाज में यह सशक्त संदेश भी देता है कि गंभीर अपराधों, विशेषकर महिला एवं बाल अपराधों में कोई भी अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं रह सकेगा।

जनपद पुलिस का संकल्प

“सुरक्षा, विश्वास और न्याय” के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए सोनभद्र पुलिस भविष्य में भी मिशन शक्ति एवं Operation Conviction के उद्देश्यों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लागू करती रहेगी।